

अध्याय 4

तटवर्ती परिसम्पतियों में मापन तथा सूचना पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1. मापन प्रक्रियाओं में विसंगतियां

लेखापरीक्षा में छह तटवर्ती परिसम्पतियों (अंकलेश्वर, अहमदाबाद, मेहसाना, असम, राजामुन्द्री तथा कावेरी) के मापन तथा सूचना प्रणाली की समीक्षा की गई थी। ओएनजीसी में ये परिसम्पतियां लगभग समस्त तटवर्ती तेल उत्पादन करती हैं। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान (2010-2015), तटवर्ती परिसम्पतियों में कच्चे तेल के मापन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया नहीं थी। इस प्रकार, अलग अलग परिसम्पतियों ने इस उद्देश्य के लिए अलग अलग मापन तकनीकों का उपयोग करते हुए मूल्य श्रृंखला के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्पादन मापा था।

लेखापरीक्षा ने पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित असमानताएं देखीं:

अंकलेश्वर परिसम्पति में, कच्चे तेल का उत्पादन मापन भण्डारण टैंकों में टैंक-डिप के माध्यम से किया गया था जहाँ से कच्चा तेल रिफाइनरी को प्रेषित किया जाता है। अतः अंकलेश्वर में कच्चे तेल के उत्पादन का मापन सभी संसाधन गतिविधियां पूरी होने के पश्चात किया गया था। तथापि, मेहसाना परिसम्पति में, कच्चे तेल के उत्पादन का मापन सीटीएफ में कच्चे तेल के संसाधन से पहले सेन्ट्रल टैंक फार्म (सीटीएफ) के इनलेट में द्रव्यमान प्रवाह मीटर का उपयोग करके किया गया था।

मापन का बिन्दु महत्वपूर्ण था क्योंकि तरल की मात्रा जल तथा अशुद्धियां हटाने के पश्चात की तुलना में संसाधन से पहले आवश्यक रूप से अधिक होगी। उत्पादन मात्रा के मानक मापन के लिए मापन का ढंग तथा इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त उपकरण भी महत्वपूर्ण थे। लेखापरीक्षा ने ओएनजीसी में इस संबंध में मापन प्रक्रिया के मानकीकरण की आवश्यकता देखी।

प्रबन्धन/मंत्रालय ने उत्तर में बताया (जनवरी/अप्रैल 2016) कि तटवर्ती परिसम्पतियों में कच्चे तेल के मापन हेतु निगमित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है तथा निगमित एसओपीज के आधार पर परिसम्पति विशिष्ट एसओपीज तैयार एवं जारी किये गए हैं।

तटवर्ती परिसम्पतियों में कच्चे तेल के मापन हेतु एसओपीज को लागू किये जाने की जांच भावी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

4.2. पश्चिमी तटवर्ती परिसम्पतियों में कच्चे तेल की बताई गई एवं मापी गई मात्रा में बेमेलता

एक परिसम्पति के संसाधन अधिष्ठापन कच्चे तेल के उत्पादन के लिए लॉग बुक तथा दैनिक उत्पादन अभिलेख बनाते हैं जो परिसम्पति के बेस कार्यालय को भेजे जाते हैं। परिसम्पति का बेस कार्यालय समस्त परिसम्पति की दैनिक उत्पादन रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए सभी संसाधन अधिष्ठापनों के उत्पादन डाटा को मिलाते हैं। परिसम्पति डीपीआर को निगमित स्तर पर समेकित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने तीन पश्चिमी तटवर्ती परिसम्पतियों में कच्चा तेल उत्पादन अभिलेखों के विभिन्न समूहों (संसाधन अधिष्ठापन पर बनाए गए प्रत्यक्ष लॉग, संसाधन अधिष्ठापनों द्वारा बेस कार्यालय को बताया गया उत्पादन डाटा, परिसम्पति के बेस कार्यालय द्वारा सूचित किया गया

उत्पादन डाटा तथा निगम स्तरीय विवरण में दर्ज परिसम्पत्ति का उत्पादन डाटा) की जांच की तथा निम्नलिखित कमियां देखीं:

- क. अंकलेश्वर परिसम्पत्ति:** अंकलेश्वर परिसम्पत्ति में, संसाधन अधिष्ठापनों ने उत्पादन डाटा दर्ज करते हुए प्रत्यक्ष लॉग बुक बनाई थी जिनका उपयोग संसाधन अधिष्ठापनों में डीपीआर तैयार करने के लिए किया गया था। ये अधिष्ठापन डीपीआरज प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से पहले परिसम्पत्ति के बेस कार्यालय को सूचित की जाती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि संसाधन अधिष्ठापनों की डीपीआर (बेस कार्यालय को भेजी जाने वाली तथा निगम स्तर उत्पादन डाटा में शामिल होने वाली) वास्तविक उत्पादन को दर्ज करने वाली प्रत्यक्ष लॉग बुक में अनुरक्षित डाटा की तुलना में उच्चतर थी। सूचित किये गए उत्पादन (परिसम्पत्ति की डीपीआर के अनुसार) तथा संसाधन अधिष्ठापनों में बनाई गई लॉग बुक में दर्ज वास्तविक उत्पादन के बीच अन्तर 2010-11 से 2014-15 की अवधि में 6,63,406 एमटी था (परिसम्पत्ति के सूचित किये गए उत्पादन का 10.66 प्रतिशत)। विशिष्ट विवरण अनुबन्ध-I में दिए गए हैं।
- ख. अहमदाबाद परिसम्पत्ति:** परिसम्पत्ति के बेस कार्यालय द्वारा सूचित उत्पादन आंकड़े (निगम स्तरीय उत्पादन डाटा में शामिल) उस उत्पादन डाटा से काफी उच्चतर थे जो संसाधन सुविधाओं द्वारा बेस कार्यालय को बताए गये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि संसाधन सेवाओं द्वारा सूचित डाटा का मिलान इन सेवाओं में अनुरक्षित प्रत्यक्ष लॉग बुक के साथ किया गया था। तथापि, निगमित कार्यालय को बेस कार्यालय द्वारा सूचित सेवाओं से संबंधित आकड़ों के बीच अन्तर थे। सूचित किये गए उत्पादन (बेस कार्यालय द्वारा निगमित स्तर को यथासूचित) तथा संसाधन अधिष्ठापनों में बनाई गई लॉग बुक में दर्ज वास्तविक उत्पादन के बीच अन्तर 2010-11 से 2014-15 की अवधि में 3,75,765 एमटी था (परिसम्पत्ति के सूचित किये गए उत्पादन का 5.02 प्रतिशत)। विशिष्ट विवरण अनुबन्ध-I में दिए गए हैं।
- ग. मेहसाना परिसम्पत्ति:** मेहसाना परिसम्पत्ति में, परिसम्पत्ति बेस में तकनीकी सेल ने निगमित कार्यालय को गणना किये गए उत्पादन डाटा की सूचना दी। यह गणना मेहसाना सेन्द्रल टैंक फार्म से प्राप्त किये गए तरल के आधार पर की गई थी। मेहसाना परिसम्पत्ति ने भी संसाधन सेवा के आऊटलेट पर प्राप्त किये गए संसाधित कच्चे तेल के आधार पर वास्तविक उत्पादन की गणना की थी जो वास्तविक जल विकास हेतु समायोजित किया गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि परिसम्पत्ति द्वारा सूचित गणना किया गया उत्पादन डाटा (तथा निगम स्तरीय उत्पादन डाटा में शामिल) परिसम्पत्ति द्वारा दर्ज की गई वास्तविक उत्पादन मात्रा से काफी उच्चतर था। सूचित किये गए उत्पादन (बेस कार्यालय द्वारा निगमित स्तर को यथासूचित) तथा संसाधन अधिष्ठापनों में बनाई गई लॉग बुक में दर्ज वास्तविक उत्पादन के बीच अन्तर 2010-11 से 2014-15 की अवधि में 2,62,810 एमटी था (परिसम्पत्ति के सूचित किये गए उत्पादन का 2.29 प्रतिशत)। विशिष्ट विवरण अनुबन्ध-I में दिए गए हैं।

प्रबन्धन/मंत्रालय ने उत्तर (जनवरी/अप्रैल 2016) में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की तथा आश्वासन दिया कि पूरी सख्ती के साथ सुधारात्मक उपायों के समूह को सक्रिय किया गया है। प्रबन्धन ने यह भी बताया कि ये कार्यवाहियां नामतः अग्रिम सूचना, बेस स्टेशनों पर प्राधिकरण का प्रत्याहार, सूचना समय की एकरूपता, कड़ी निगरानी तथा सारी सूचना एसएपी प्रणाली के आधार पर करना (रिक्थ प्रणाली को खत्म कर दिया गया है) वांछित परिणाम दे रहीं हैं।

लेखापरीक्षा ने प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर नोट किया तथा भावी लेखापरीक्षाओं के दौरान स्थिति की जांच की जाएगी।

4.3. आन्तरिक खपत हेतु प्रयुक्त वापस पाने योग्य कच्चे तेल का निर्धारण करने के लिए परिसम्पत्ति विशिष्ट प्रतिमानों की कमी

उत्पादक कुएं कुछ समय के पश्चात खराब हो सकते हैं तथा वर्क ओवर संचालनों के माध्यम से मरम्मत की आवश्यकता होती है। वर्क ओवर संचालन की प्रक्रिया में कुएं में हॉट आयल सर्कुलेशन (एचओसी) स्क्वीजिंग कार्य की आवश्यकता होती है। एचओसी/स्क्वीजिंग कार्य के लिए उत्पादित कच्चे तेल का उपयोग होता है। इस कच्चे तेल की काफी मात्रा वापस पायी जा सकती है तथा मरम्मत किये गए कुएं से भविष्य में उत्पादन का भाग बन सकता है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि उत्पादन अधिष्ठापनों ने तेल की भविष्य में वापस प्राप्ति की संभावना को दर्शाये बिना ही एचओसी/स्क्वीजिंग कार्य के लिए प्रयुक्त कच्चे तेल को 'आन्तरिक खपत' बताया था जिससे उत्पादन अधिक बताया गया।

तटवर्ती परिसम्पत्तियों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि अंकलेश्वर, अहमदाबाद तथा असम परिसम्पत्तियां एचओसी/स्क्वीजिंग कार्यों के लिए कच्चे तेल के समस्त उपयोग को आन्तरिक खपत के रूप में दर्शाती हैं तथा 'वापस प्राप्ति योग्य' किसी घटक का प्रावधान नहीं करती (अनुबन्ध II में विवरण दिए गए हैं)। इसके अतिरिक्त, एचओसी/स्क्वीजिंग कार्यों के लिए प्रयुक्त कच्चे तेल के 'वापस प्राप्ति योग्य' घटक का निर्धारण करने के लिए कोई परिसम्पत्ति विशिष्ट प्रतिमान निर्धारित नहीं किये गए हैं।

प्रबन्धन ने उत्तर (जनवरी 2016) में बताया कि यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से एचओसी के लिए प्रयुक्त किया गया अधिकतर कच्चा तेल अधिष्ठापन को वापस लौटाया जाना चाहिए जहां कुआं प्रवाहित हो रहा है, तथापि यह व्यवहारिक नहीं है। वापस किये गए कच्चे तेल की मात्रा अनेक कारकों (रिजरवायर की पारगम्यता तथा दाब, अधिष्ठापन से कुएं की दूरी, गहराई, पुनरूद्धार, कुएं का प्रकार इत्यादि) पर निर्भर करती है और इसलिए एक क्षेत्र विशिष्ट तथ्य होने के नाते वापस प्राप्ति योग्य कच्चे तेल की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया (अप्रैल 2016) कि परिसम्पत्ति विशिष्ट एसओपी अब लागू किये गए हैं, जो मामले का समाधान करेगा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की। सुधारात्मक कार्यवाही के वास्तविक कार्यान्वयन की समीक्षा भावी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

4.4. पिट आयल स्टॉक को कच्चा तेल उत्पादन के रूप में गिनना

अहमदाबाद परिसम्पत्ति ने वर्ष 2009-10 के लिए कच्चे तेल के अन्तिम स्टॉक में 1,34,794 एमटी कच्चे तेल को पिट आयल स्टॉक¹⁵ माना था (जो 2006-07 से 2009-10 की अवधि में संचित हुआ था)। तथापि, परिसम्पत्ति ने लेखा बहियों में स्टॉक मूल्यांकन के लिए इस पिट आयल स्टॉक पर विचार

¹⁵ अन्वेषण कुओं से तेजी से उत्पादन करने के प्रयास में आमतौर पर ऐसे कुओं का प्रारंभिक जांच के दौरान कुंआ स्थल पर शिफ्ट पिट बनाने के लिए व्यर्थ कार्य किया जाता है। तरल से निकले तेल को भी सामान्यतया निकालने से पहले वाश टैंक में भण्डारित किया गया था। रिफाइनरी से कम निकासी के कारण अधिक स्टॉक की अवधि के दौरान भी अतिरिक्त तेल उपलब्ध भण्डारण जैसे वाश टैंक/तरल टैंक में भण्डारित किया जाता है। वह तेल जो कच्चे तेल के टैंक में भण्डारित नहीं किया गया है तथा जो परिसम्पत्ति के टैंक स्टॉक विवरण में दिखाई नहीं देता, पिट आयल के रूप में संदर्भित होता है।

नहीं किया था। तत्पश्चात्, परिसम्पत्ति ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में जैव-उपचार¹⁶ के कारण क्रमशः 14,183 एमटी तथा 10,615 एमटी के नुकसान की गणना की तथा इसे उन वर्षों के पिट स्टॉक में से घटा दिया। बाद में, परिसम्पत्ति ने यह बताते हुए 2012-13 में पिट आयल के अन्तिम स्टॉक में से 39,000 एमटी की मात्रा और घटा दी कि उक्त मात्रा पहले ही 2009-10 से 2012-13 के वर्षों के दौरान डिसाल्टर संयंत्र, वाश टैंक तथा सीटीएफ नवागांव के पिट स्टॉक से वसूल की जा चुकी थी। परिसम्पत्ति ने वर्ष 2014-15 में अन्ततः 70,746 एमटी की स्टॉक मात्रा बढ़े खाते में डाल दी।

प्रबन्धन/मंत्रालय ने उत्तर (जनवरी/अप्रैल 2016) में बताया कि मामला पहले ही लेखापरीक्षा एवं नीति समिति तथा ओएनजीसी बोर्ड को 14 फरवरी 2015 को सूचित किया जा चुका है तथा पिट स्टॉक में बोर्ड के निर्णय के अनुसार सुधार किये गए हैं। प्रबन्धन ने यह भी आश्वासन दिया कि वर्तमान में अहमदाबाद परिसम्पत्ति में कोई पिट स्टॉक नहीं है।

सुधारात्मक कार्यवाही की जांच भावी लेखापरीक्षाओं के दौरान की जाएगी।

4.5. कच्चा तेल उत्पादन की सूचना के पश्चात् बीएसएवंडब्ल्यू तथा मुक्त जल निकासी

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उत्पादन का मापन किये जाने के पश्चात् तथा रिफाइनरी को कच्चे तेल के संरक्षण का अन्तरण करने से पहले, अंकलेश्वर तथा मेहसाना परिसम्पत्तियों में कच्चे तेल से 523,338 एमटी बीएसएवंडब्ल्यू तथा मुक्त जल हटाया गया था। यह देखा गया था कि संरक्षण अन्तरण से पहले रिफाइनरी की तरफ से बीएसएवंडब्ल्यू तथा मुक्त जल की भारी मात्रा हटानी पड़ी थी। तटवर्ती परिसम्पत्तियों में, कच्चे तेल के उत्पादन का मापन अधिकतर संसाधन के पश्चात् तथा इसे रिफाइनरी भेजने से पहले किया जाता है। ऐसी मात्रा में 0.2 प्रतिशत से कम बीएसएवंडब्ल्यू होने की अपेक्षा की गई थी। तथापि, यह देखा गया था अंकलेश्वर, राजामुंद्री तथा कावेरी परिसम्पत्तियों ने रिफाइनरी छोर पर भारी जल निकासी की सूचना दी थी जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-5: रिफाइनरी छोर पर निकासी किया गया मुक्त जल तथा बीएसएवंडब्ल्यू

परिसम्पत्ति	रिफाइनरी छोर पर निकासी किया गया मुक्त जल तथा बीएसएवंडब्ल्यू	प्रेषित मात्रा में मुक्त जल तथा बीएसएवंडब्ल्यू की प्रतिशतता
अंकलेश्वर	49,835 एमटी	0.92 %
कावेरी	11,195 एमटी	0.95 %
राजामुंद्री	15,385 एमटी	1.30 %

इन परिसम्पत्तियों से कच्चे तेल की उत्पादन मात्रा की सूचना के पश्चात् मुक्त जल तथा बीएसएवंडब्ल्यू की निकासी की भारी मात्रा ने इन परिसम्पत्तियों के कच्चे तेल के उत्पादन को अधिक बताने में योगदान दिया।

प्रबन्धन/मंत्रालय ने उत्तर (जनवरी/अप्रैल 2016) में बताया कि उच्च बीएसएवंडब्ल्यू हानियां आंशिक रूप से उच्चतर वाटर कट, सभी अधिष्ठापनों पर पर्याप्त संसाधन सुविधाओं/प्रबंधन सुविधाओं की कमी के कारण जिससे रिफाइनरी को उच्च बीएसएवंडब्ल्यू कच्चे तेल का प्रेषण हुआ जहां संरक्षण अन्तरण से पहले अतिरिक्त/मुक्त जल निकालने के लिए इसे कुछ अधिक अवरोधन समय दिया गया, के कारण थी। राजामुंद्री परिसम्पत्ति के मामले में, प्रबन्धन ने बताया कि बीएसएवंडब्ल्यू

¹⁶ जैवोपचारण एक प्रदूषित स्थल को साफ करने के लिए पर्यावरणीय प्रदूषकों का रासायनिक परिवर्तन करने तथा उपभोग करने के लिए सूक्ष्म जीवों को प्राकृतिक रूप से जानबूझकर मिलाये जाने की प्रक्रिया है।

ऑकड़ों में अन्तरण हानियां शामिल है तथा आश्वासन दिया कि 2015-16 में बीएसएण्डडब्ल्यू तथा अन्तरण हानियों की सूचना अलग अलग देने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्रबंधन ने यह भी बताया कि आंशिक रूप से उच्च बीएसएण्डडब्ल्यू की सूचना अंकलेश्वर में गलत बताए गए उत्पादन को समायोजित करने के लिए दी गई थी। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि मामले पर लेखापरीक्षा एवं नीति समिति तथा ओएनजीसी बोर्ड द्वारा विचार किया गया है तथा बाद में भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नियंत्रण तंत्र स्थापित किया गया है।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2016) कि 0.20 प्रतिशत बीएसएण्डडब्ल्यू में मुक्त जल शामिल नहीं है तथा तदनुसार यह रिफाइनरियों को आपूर्ति में बनाए रखा जाता है तथा नये टैंक बढ़ाकर (2017 तक) टैंकों में अवरोधन समय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं जो रिफाइनरी छोर पर जल निकासी को विचारणीय रूप से कम करेगा।

प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है:

- (i) यह देखा गया है कि प्रबंधन ने बीएसएण्डडब्ल्यू मात्रा को नियमित करके भविष्य में अधिक बताए जाने की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की है जिसके कार्यान्वयन की समीक्षा भावी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।
- (ii) तथापि, इस पर बल दिया गया है कि सुधारात्मक एसओपीज संसाधन सुविधाओं की अपर्याप्तता जिनके कारण संसाधित कच्चे तेल में उच्चतर जल तत्त्व होता है अथवा बताए गए कच्चे तेल के उत्पादन में सटीक वाटर कट का निर्धारण करने में संचालनात्मक बाधाओं का समाधान नहीं करेंगे। इसलिए, संशोधित एसओपीज के साथ भी उत्पादन सूचना स्तर के पश्चात कच्चे तेल में बीएसएण्डडब्ल्यू की उच्च मात्रा जारी रह सकती है। लेखापरीक्षा का विचार है कि इस मसले का समाधान उपयुक्त रूप से उत्पादन सूचना बिन्दू को बदल कर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्चे तेल के उत्पादन की सूचना की बीएस एवं डब्ल्यू के समायोजन के पश्चात दी जाए, किया जा सकता है।

4.6. असम तथा अंकलेश्वर परिसम्पत्तियों के अन्तः स्टॉक में जल की सूचना

क. अंकलेश्वर परिसम्पत्ति: लेखापरीक्षा ने देखा कि अंकलेश्वर परिसम्पत्ति ने 2007-08 से वर्ष के अन्त में कच्चे तेल के टैंकों को तरल अथवा जल से भर कर कच्चे तेल का उत्पादन अधिक बताया था ताकि कच्चे तेल के सूचित किये गए अंतिम स्टॉक के साथ विभिन्न उत्पाद टैंकों में कच्चे तेल के वास्तविक अंतिम स्टॉक से मेल किया जा सके। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान, अंकलेश्वर परिसम्पत्ति ने परिसम्पत्ति के **81,800** एमटी तक अधिक बताए गए उत्पादन के एक भाग को समायोजित करने के लिए कच्चे तेल का अंतिम स्टॉक अधिक बताया था।

प्रबंधन ने आपत्ति स्वीकार की (जनवरी 2016) तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गई हैं।

ख. असम परिसम्पत्ति: असम परिसम्पत्ति में रूद्रसागर क्षेत्र के ग्रुप गेदरिंग स्टेशन II के वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए लॉग बुक/डीपीआर की नमूना जांच से पता चला कि जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान अंतिम स्टॉक (31 मार्च को) **2699.54** एमटी (3139एम³) तक बढ़ गया था तथा बाद में अप्रैल महीने के दौरान जल की निकासी द्वारा घट

गया था। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन **2699.54 एमटी** तक अधिक बताया गया था।

अंतिम स्टॉक अधिक बता कर कम्पनी को ₹ 160.69 करोड़ तक अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ा था जैसा पैरा 5.2बी में चर्चा की गई है।

प्रबन्धन ने उत्तर में (जनवरी 2016) लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी।

मंत्रालय ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2016) कि लेखापरीक्षा आपत्ति के पश्चात, परिसम्पतियों को मामले पर जागरूक किया गया है तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अंतिम स्टॉक की सूक्ष्म निगरानी की जा रही है।

प्रबन्धन/मंत्रालय के आश्वासन को भावी लेखापरीक्षाओं में देखा जाएगा।

4.7. अंकलेश्वर में मिलान के लिए कच्चे तेल की चोरी की गलत सूचना

अंकलेश्वर परिसम्पति में विभिन्न क्षेत्रों से कच्चा तेल सेन्ट्रल टैंक फार्म (सीटीएफ), अंकलेश्वर में इकट्ठा किया जाता है तथा आगे एक ट्रंक पाईपलाईन के माध्यम से आईओसीएल रिफाइनरी, कोयाले को भेजा जाता है। यह देखा गया था कि 18 फरवरी 2013 को, उक्त ट्रंक पाईपलाईन में बदमाशों द्वारा कच्चा तेल चुराने के लिए पंचर कर दिया गया था। परिसम्पति का संवीक्षा दल उसी दिन स्थल पर पहुंचा और भरे हुए तथा खाली बैरल तथा कैन को जब्त कर लिया तथा पुलिस के पास 550 लीटर कच्चे तेल की चोरी की एफआईआर दर्ज कराई। तथापि, 31 मार्च 2013 को कच्चा तेल मिलान विवरण में परिसम्पति ने सूचित की गई 550 लीटर की चोरी के प्रति 3556 एमटी का पाईपलाईन निसरण दर्शाया था। यह अधिक सूचना परिसम्पति द्वारा बताए गए उत्पादन तथा कच्चे तेल की बिक्री के बीच अन्तर का समाधान करने के लिए दी गई थी।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जनवरी 2016) कि 3556 एमटी कच्चे तेल की चोरी एक सही आँकड़ा नहीं थी तथा यह कच्चे तेल के अधिक बताए गए उत्पादन को समायोजित करने के लिए बताया गया था। प्रबन्धन/मंत्रालय ने भी आपत्ति स्वीकार की (जनवरी/अप्रैल 2016) तथा बताया कि परिसम्पति को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने की सलाह दी गई है।

4.8. तटवर्ती परिसम्पतियों में कच्चे तेल की मापन प्रणाली में कमियां

तटवर्ती प्रणालियों में कच्चे तेल का मापन मुख्यतः परिसम्पति के भण्डारण टैंकों में टैंक डिप के माध्यम से किया जाता है। कम्पनी ने मानवीय हस्तक्षेप तथा छेड़छाड़ के बिना तथा प्राप्त किये गए डाटा के कम्पनी तथा एसएपी की आईटी प्रणाली में एकीकरण के कारण विद्युतीय उपकरणों के माध्यम से कच्चे तेल की मात्रा का मापन अनुमत करने के लिए पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा ग्रहण डाटा (एससीएडीए) प्रणाली भी स्थापित की थी। लेखापरीक्षा ने आनलैण्ड कच्चा तेल मापन प्रणाली में अनेक कमजोरियाँ तथा कमियां देखी जैसा नीचे वर्णित है।

4.8.1. तटवर्ती परिसम्पतियों में भण्डारण टैंको का गैर अंशशोधन:

टैंक अंशशोधन टैंक की क्षमता का सटीक रूप से निर्धारण करने तथा इस क्षमता को दी गई रेखीय वृद्धि अथवा तरल की उँचाई के लिए एक पैमाने के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। लीगल मेट्रोलोजी निदेशालय द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में कम से कम एक बार टैंक अंशशोधन, टैंक निरीक्षण तथा भण्डारण टैंक का प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। तथापि, भण्डारण टैंकों का अंशशोधन पाँच वर्षों की अपेक्षित वारम्बारता के साथ नहीं किया गया था, जहां अंशशोधन किया गया था, वहां उन मामलों में कमियां देखी गई थी जैसा नीचे चर्चा की गई है:

(क) **असम परिसम्पत्ति:** लेखापरीक्षा ने देखा कि असम परिसम्पत्ति के अधिकतर टैंक 1970 के दौरान प्रारंभ किये गए थे तथा इन भण्डारण टैंकों का अंशशोधन उन्हें प्रारंभ करने अर्थात् 40 वर्ष बाद भी नहीं किया गया था। टैंकों की सफाई भी नियमित नहीं हुई थी (परिसम्पत्ति में 120 में से 14 टैंकों के अपवाद सहित)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2015) कि सितंबर 2015 में 63 टैंक के अंशशोधन के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किए जाने हेतु संविदा प्रदान की गई है। उत्तर को परिसंपत्ति द्वारा अनिवार्य संशोधन कार्यक्रम का पालन न करने के संदर्भ में देखा जाना है।

(ख) **दक्षिणी परिसंपत्ति:** लेखापरीक्षा ने राजामुंद्री परिसंपत्ति तथा कावेरी परिसंपत्ति में 36 में से चार अधिष्ठापन में अंशशोधन चार्ट की नमूना जांच की। यह देखा गया था कि प्रारंभ करने के बाद से टैंकों का पूर्ण अंशशोधन नहीं हुआ था।

(ग) **पश्चिमी तटवर्ती परिसंपत्ति:** पश्चिम तटवर्ती में, लेखापरीक्षा ने देखा कि टैंकों का पुनः अंशशोधन निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष में नहीं किया गया था।

निर्धारित अंशशोधन का पालन न करने के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की मात्रा की गलत सूचना तथा मापन तथा सूचना की विश्वसनीयता में कमी आ सकती है।

प्रबंधन ने उत्तर में (जनवरी 2016) लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा आश्वासन दिया कि टैंक को बढ़ाने के साथ-साथ बेकार पड़े टैंकों की मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं तथा मेहसाना, अंकलेश्वर, अहमदाबाद तथा असम में टैंकों की मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु वार्षिक दर संविदा/एकमुश्त संविदा प्रदान की गई है। प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही की जांच भावी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

4.8.2. एससीएडीए प्रणाली का खराब उपयोग:

कंपनी ने उत्पादन मापन तथा ड्रिलिंग मानदंडों के लिए मार्च 2008 में ₹ 385 करोड़ की लागत पर पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा डाटा ग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली लागू की थी। तटवर्ती परिसंपत्तियों में एससीएडीए प्रणाली ग्रुप केंद्रीय स्टेशन (जीजीएस), आरंभिक उत्पादन प्रणाली (ईपीएस), क्रुड टैंक फॉर्म (सीटीएस) तथा केंद्रीय संसाधन सेवा (सीपीएफ) में स्थापित की गई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तथापि कम्पनी ने अधिकतर तटवर्ती अधिष्ठापनों में एससीएडीए प्रणाली स्थापित की थी तथा टैंकों में कच्चे तेल का सकल परिमाण एससीएडीए प्रणाली द्वारा ग्रहण किया जा रहा था, तथापि इसका प्रयोग उत्पादन की सूचना देने में नहीं किया गया था। उत्पादन का मापन मानवीय डिप के आधार पर टैंक की रीडिंग द्वारा जारी रहा। अंकलेश्वर के मामले में, तथापि एससीएडीए प्रणाली को एसएपी के साथ जोड़ा गया था, फिर भी परिसम्पत्ति ने एससीएडीए रीडिंग के आधार पर उत्पादन रिपोर्ट नहीं बनाई थीं।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर में (जनवरी 2016/अप्रैल 2016) लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए आईसीई एसएपी-ईआरपी¹⁷

¹⁷ उद्यम संसाधन योजना अर्थात् एसएपी प्रणाली तथा अन्य आईटी प्रयासों के कार्यान्वयन के माध्यम से दक्षता के लिए समेकित सूचना।

के साथ एससीएडीए प्रणाली को एकीकृत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रबन्धन के आश्वासन के वास्तविक कार्यान्वयन की जांच भावी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

4.8.3. असम परिसम्पत्ति में लागू बुक तथा एसएपी में दर्ज डाटा के बीच बेमेलता

असम परिसम्पत्ति द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन का मापन मानवीय रूप से (टैंक डिप द्वारा) किया गया था तथा संसाधन अधिष्ठापनों की लागबुक में दर्ज किया गया था। यही डाटा बाद में एसएपी-ईआरपी प्रणाली में दर्ज किया गया था। उत्पादन अधिष्ठापनों की लागबुक तथा एसएपी-ईआरपी डाटा की नमूना जांच से बेमेलता का पता चला जो एसएपी प्रणाली के माध्यम से सूचित कच्चा तेल उत्पादन की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है।

प्रबंधन ने उत्तर में (जनवरी 2016) बताया कि सितम्बर 2014 में दिशानिर्देश जारी किये गए हैं तथा कच्चे तेल के परिमाण तथा मापन पर तटवर्ती परिसम्पत्तियों के लिए निगम स्तरीय एसओपीज भी जारी किये गए हैं। इसके अतिरिक्त, परिसम्पत्तियों को निगम स्तरीय एसओपीज के आधार पर परिसम्पत्ति विशिष्ट एसओपीज का गठन करने का परामर्श दिया गया है। प्रबंधन ने यह आश्वासन भी दिया कि मापन तथा सूचना प्रणाली में कुछ चिन्हित अक्षमताएं हैं जिनका निरन्तर समाधान किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2016) कि सभी तटवर्ती परिसम्पत्तियों ने कच्चे तेल के मापन पर परिसम्पत्ति विशिष्ट एसओपीज तैयार किये हैं। की गई कार्यवाही की जांच भावी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

4.8.4. उत्पादन राजस्व लेखांकन (पीआरए) प्रणाली का उपयोग करने में कमी

कम्पनी ने फरवरी 2010 से एसएपी-ईआरपी प्रणाली में पीआरए माड्यूल लागू किया था। पीआरए प्रणाली कच्चे तेल के अंतिम स्टॉक तथा अधिष्ठापन से कच्चे तेल के प्रेषण से संबंधित डाटा (घनत्व, तापमान तथा वाटर कट के साथ मात्रा) के आधार पर संसाधन अधिष्ठापन के लिए प्रतिदिन कच्चा तेल उत्पादन रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करती है। यह एसएपी में दैनिक, मासिक तथा वार्षिक उत्पादन अभिलेख का आधार बनती है। तथापि, पश्चिमी तटवर्ती परिसम्पत्तियों में, डाटा सही ढंग से पीआरए प्रणाली में नहीं भरा गया था। पीआरए प्रणाली से बाहर डीपीआर परिसम्पत्ति तकनीकी कक्ष द्वारा हस्तस्य रूप से बनाई गई थी। एसएपी-डीपीआर आंकड़ों की नमूना जांच में हस्तस्य डीपीआर डाटा ने सूचित आंकड़ों से अन्तर पाया गया था। असम परिसम्पत्ति तथा दक्षिणी क्षेत्र में, एसएपी में सृजित विभिन्न रिपोर्टों में विसंगतियां देखी गई थी जो अलग अलग कच्चा तेल उत्पादन आंकड़े दिखाती हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी के निदेशक (तटवर्ती) ने निर्देश दिया (सितम्बर 2011) था कि पीआरए प्रणाली में निर्धारित समय पर दैनिक आधार पर सही उत्पादन आंकड़े दर्ज किये जाने चाहिए ताकि व्यवसाय ज्ञान (बीआई) माड्यूल के माध्यम से ओएनजीसी प्रबन्धन को प्रतिनिधिक आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकें। तथापि, ओएनजीसी के उत्पादन तथा विकास निदेशालय (पीएण्ड डीडी) ने 2015-16 की पहली तिमाही के लिए परिसम्पत्ति द्वारा सूचित आंकड़ों तथा बीआई माड्यूल के आंकड़ों के बीच अन्तर देखा था।

प्रबंधन ने उत्तर (जनवरी 2016) में बताया कि असम परिसम्पत्ति में विभिन्न रिपोर्टों के बीच डाटा का मेल न होना परिसम्पत्ति द्वारा अपनाई गई गलत कार्यपद्धति के कारण था तथा सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रबंधन/मंत्रालय ने यह भी बताया (अप्रैल 2016) कि सभी परिसम्पत्तियों को पीआरए माड्यूल में उत्पादन डाटा की सूचना देने के लिए जागरूक किया गया है। प्रबंधन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही की जांच भावी लेखापरीक्षाओं के दौरान की जाएगी।